

Policy No : 943516151

भारतीय जीवन बीमा निगम
Life Insurance Corporation of India

Money back (20 years)

With Profit

(जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 द्वारा संस्थापित)

(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे आगे निगम सम्बोधित किया गया है) तालिका में नामांकित प्रस्तावक एवं बीमित व्यक्ति से एक प्रस्ताव, घोषणा तथा प्रथम प्रीमियम प्राप्त करने के उपरान्त और उल्लिखित प्रस्तावक व निगम उक्त प्रस्ताव एवं घोषणा में समाहित व संदर्भित प्रकरणों को इस बीमे का आधार मानकर इस पॉलिसी के द्वारा इस बात से सहमत होते हैं कि उपरोक्त तालिका में अंकित अगली प्रीमियम राशियों के प्राप्त होते रहने पर निगम उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन्हें तालिका की शर्तों के अनुसार बीमाधन देय होता है, निगम के समक्ष इस बात का सन्तोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही तालिका में लिखे अनुसार बीमाधन देय हो चुका है तथा देय होने वाले धन के भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अधिकारी है तथा प्रस्तावपत्र में अंकित आयु यदि पहले स्वीकृत नहीं हुई है, प्रमाणित करा लेने पर, इस पॉलिसी के लिए अपने बीमा सेवा मंडल/शाखा कार्यालय के द्वारा बीमाधन का (लाभ सहित पॉलिसियों में बीमस के रूप में निर्धारित की गई रकमों के साथ) बिना किसी व्याज के भुगतान करेगा। और एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह पॉलिसी इसके पृष्ठ भाग पर छपी हुई शर्तों एवं सुविधाओं के अधीन होगी तथा उपरोक्त तालिका व निगम द्वारा अंकित प्रत्येक पृष्ठांकन पॉलिसी के अंग माने जायेंगे।

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal and Declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the schedule, to pay the Sum Assured (together with such further sum or sums as may be allocated by way of Bonus in the case of With Profits Policies) but without interest at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Sum Assured having become payable as set out in the Schedule, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted. And it is hereby declared that this policy of Assurance shall be subject to the Conditions and Privileges printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

सातारा विभाग

SATARA DIVISION

तालिका

SCHEDULE

742

शाखा कार्यालय

BRANCH OFFICE

पॉलिसी संख्या एवं जोखिम की तिथि Policy No. and Date of Commencement	तालिका व अवधि Table and Term	बीमाधन रुपये Sum Assured Rs.	देय तिथि एवं भुगतान विधि Due Date and Mode of Payment	देय प्रीमियम किस्त रु. Instalment Premium Payable Rs.	प्रस्ताव संख्या एवं तिथि Proposal No. & Date
943516151 17/01/2011	075 20	300000	17th Mly	1621.00	17/01/2011 12645

जोखिम प्रारंभ की तिथि Date of Commencement of Risk
17/01/2011

बीमा अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत नामित व्यक्ति Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938.
K. MANORAMA **Wife**

पूर्णावधि तिथि
Date of Maturity **17/01/2031**

प्रस्तावक और बीमित व्यक्ति का नाम और पता Name and Address of Proposer and Life Assured
K. SRIKANTH
TYPE-3, QTR NO.2, STAFF QTRS BLOCK-A,
BSNL BHAVAN, NR. HEAD POST OFFICE,
M.G. ROAD, SANGLI **416416**

अंतिम भुगतान की तिथि
Date of Last Payment **17/12/2030**
 जन्म तिथि
Date of Birth **08/06/1985**
 आयु / स्वीकृति
Age / Admission **26 Y**

किए जाने वाले भुगतान और घटनाएँ जिनके होने पर भुगतान किया जायेगा। Payments to be made and events on the happening of which they are to be made.

Surviving 5 YRS from commencement :-> 20 % of SA
Surviving 10 YRS from commencement :-> 20 % of SA
Surviving 15 YRS from commencement :-> 20 % of SA
Surviving Date of Maturity :-> 40 % of SA + BONUS
Death before Date of Maturity :-> SA + BONUS

बीमाधन किसको मिलेगा To Whom Sum Assured payable	प्रस्तावक या उसके समुत्तराधिकारी या बीमा अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत उसके नामित व्यक्ति को अथवा उन प्रमाणित प्रबंधकों प्रशासकों या अन्य वैधानिक प्रतिनिधियों को दिया जायेगा जिन्हें उसकी संपत्ति अथवा इस पॉलिसी के अन्तर्गत देय राशि के मामले में धारा 39 के किसी राज्य या क्षेत्र न्यायालय से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र प्राप्त होगा। The Proposer or his Assignees or Nominees under Section 39 of the Insurance Act or proving Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India.
प्रीमियम चुकाने की अवधि Period during which premium payable	निर्धारित अन्तिम किस्त भुगतान की तिथि को या इसके पूर्व बीमाधारक की मृत्यु होने तक Till the stipulated date of Last Payment or previous death of the Life Assured
प्रीमियम भुगतान करने की तिथि Dates when premium payable	में निर्धारित तिथि को On the stipulated due date in Every Month
शर्तें और सुविधाएँ जो लागू नहीं हैं। Conditions and Privileges not applicable	
विशेष शर्तें धारा संख्याओं के अनुसार Special condition/s as per attached Clause No./s	
Details of Riders & clauses if any	

निगम की ओर से उपरोक्त शाखा कार्यालय में हस्ताक्षर किए गए। Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office whose address is given below and to which all communications relating to the policy should be addressed.

19 JAN 2011

दिनांक Date

जाँचकर्ता Examiner

प्रपत्र संख्या Form No.: 75/93/106/107/108



VAISHALI U. SHINDE
H.G.I.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पद
 P. Sr. / Branch Manager